वन प्रमण्डल पदाधिकारी का कार्यालय– धनबाद।

पत्रांक – 1709 दिनांक – 19.11.18

सेवा में,

महाप्रबंधक,
बस्ताकोला क्षेत्र,
बी0सी0सी0एल0।

विषय :– बी0सी0सी0एल0 द्वारा बस्ताकोला क्षेत्र अन्तर्गत मौजा– बेरा के कुईया कोलयरी हेतु 11.17 हे0 अधिसूचित वन भूमि का प्रस्ताव समर्पित करने के संबंध में।

प्रसंग :– आपका पत्रांक– 88 दिनांक– 24.10.2018

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रसंगाधीन पत्र के संबंध में सूचित करना है कि आपके द्वारा समर्पित कुईया कोलयरी का प्रस्ताव की समीक्षा की गई। समीक्षा के क्रम में निम्न त्रुटि/कमी पाई गई–

(1) आपके द्वारा कुल 11.17 हे0 हेतु प्रस्ताव समर्पित किया गया है, जो अधिसूचित वन भूमि है। लेकिन पुरे लीज एरिया में पड़ने वाले जंगल–झाड़ी के रकवा को उसमें सम्मलित नहीं किया गया है। जबकि आपके द्वारा land schedule में स्वतः उल्लेख किया गया है कि चॉदकुईया मौजा के विभिन्न प्लॉट नं0– 14, 12, 709, 719, 723, 722, 8, 623, 19, 720, 724 आदि का खतियानी चरित्र जंगल–झाड़ी है। वन संरक्षण अधिनिमय 1980 की धारा 2 में वर्णित "वन भूमि" का अर्थ आरक्षित वन, सुरक्षित वन या सरकारी अभिलेखों में वन (जंगल–झाड़ी) के रूप में दर्ज किया गया कोई भी क्षेत्र भले ही उसका स्वामित्व किसी का हो, है। जंगल–झाड़ी के रूप में दर्ज भूमि भी वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 की धारा 2 के अर्थ में वन भूमि की परिधि में आती है। अतः गैर वानिकी प्रयोजन के लिए ऐसे क्षेत्रों को उपयोग में लाने की सभी प्रस्तावों के लिए केन्द्र सरकार की पूर्व अनुमति लेनी आवश्यक होगी चाहे वह क्षेत्र निजी स्वामित्व में भी क्यों न हो।

अतः खतियान में जंगल–झाड़ी के रूप में दर्ज भूमि भी अधिसूचित वन भूमि के रकवा के साथ सम्मलित करते हुए अपयोजन का प्रस्ताव समर्पित होगा।

(2) प्रस्ताव में गैर मजरूआ भूमि का अनापत्ति प्रमाण–पत्र उपायुक्त, धनबाद से प्राप्त कर समर्पित नहीं किया गया है।

(3) उपायुक्त, धनबाद द्वारा निर्गत वन अधिकार अधिनियम का प्रमाण–पत्र भी संलग्न नहीं किया गया है।

(4) क्षतिपूरक वनरोपण का भूमि टुण्डी प्रखण्ड में वन क्षेत्र पदाधिकारी द्वारा चिन्हित किया गया है। क्षतिपूरक का DGPS Map/ Kml File बनाकर समर्पित किया जाय। वन क्षेत्र पदाधिकारी को सहयोग हेतु निदेश दिया गया है। अतः DGPS Map/ Kml File तैयार कर समर्पित करे।

(5) वृक्षों की मार्किंग सूची को जॉच हेतु वन क्षेत्र पदाधिकारी को निदेश दिया गया है। उसका संयुक्त मार्किंग सूची तैयार कर समर्पित किया जाय।

कृपया उपरोक्त अनुपालन प्रतिवेदन शीघ्र समर्पित किया जाय ताकि इसका स्थलीय निरीक्षण कर अग्रेत्तर कार्रवाई की जा सके।

आपका विश्वासी

19-11-18

वन प्रमण्डल पदाधिकारी

धनबाद।